


2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा एवं श्री हंसराज पुरोहित उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सपठित आदेश 10 नियम 1(2) सीपीसी एवं अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका जवाब अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया। उक्त जवाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी संख्या एक से चार की फौत हो चुकी थी एवं उनके द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत के वाद संख्या 06/2004 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के वारिसानों को पक्षकारान बनाया है। अतः प्रार्थी को यह ध्यान में होते हुए भी चार वर्ष बाद 2008 में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगणों के वारिसानों को पक्षकारान नहीं बनाया गया एवं वर्ष 2008 से आज तक इतना समय गुजर जाने के बाद भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन व चार के वारिसानों की सूचि प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी नए सिरे से सही पक्षकारान बनाकर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

